न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–उत्पाद अधिहरण वाद सं0–102/2017–18 राज्य बनाम अहमद रसीद

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवााई का पत्रांक एवं दिनांक
20.03.2018	**आदेश** पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3064/डी0शा0, दिनांक 19.09.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के खगड़िया थाना कांड संख्या–365/2017 दिनांक 31.5.2017 में वादी पु0अ0नि0 श्री संतोष कुमार शर्मा द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक लाल रंग का हिरो होण्डा मोटर साईकिल गाड़ी नं0–BR-34K 0192 के पर 200 एम0एल0 का 180 (एक सौ अस्सी) पाउच मसालेदार देशी शराब बरामद किया गया है। जप्त वाहन का उपयोग राज्य में शराब लाकर खरीद बिक्री किया जा रहा था। उक्त कांड में जप्त वाहन को अधिहरण का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी, तलासी सह जप्ती सूची, पुलिस निरीक्षक, सदर खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न है। अभिलेख में मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत तलासी सह जप्ती सूची की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन में जप्ती का विवरण स्पष्ट है जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को सम्पुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत है:– जप्ती सूची के अनुसार गश्ती के क्रम में समय 12.10 बजे बैंजामिन चौक पहुंचे तो गुप्त सूचना मिली कि बलुआही बस स्टैण्ड की ओर से दो व्यक्ति मोटर साईकिल नं0 बी0आर0 34के0–0192 से अवैध शराब लेकर अने वाला है। इस सूचना को वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए बैंजामिन चौक से प्रस्थान कर जे0एन0के0टी0 स्टेडियम के पास पहुँचे तो देखा कि दो व्यक्ति मोटर साईकिल पर सवार होकर मोटर साईकिल के सीट पर बीच में प्लास्टिक के बोरा रखकर ला रहा था जिसे संदेह के आधार पर रूकने का इशारा किया तो पुलिस बल को देखकर नाला गेट के तरफ से भागने लगा जब इसका पीछा किया तो गाड़ी ले जा रहा प्लास्टिक के बोरा को सड़क पर फेक कर सकरी गली होकर मोटर साईकिल लेकर भाग गया। पुलिस कार्रवाई को देखकर बहुत लोग जमा हो गया। जमा लोगों में से कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि छोटु कुमार उर्फ टुटटू कुमार पे0 नारद तांती सा0 हाजीपुर वार्ड नं0–17 थाना+जिला–खगड़िया ने प्लास्टिक के बोरा को मोटर साईकिल से गिराकर भागा है। फेके गये बोरा	

को खोला तो उक्त बोरा में 200 एम0एल0 का 180 पाउच मसालेदार देशी शराब बरामद हुआ।

प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधितों को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।

डी0बी0नं0–360/विधि, दिनांक 03.10.17 से जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय से गाड़ी निबंधन पंजी से इसका सत्यापन कर गाड़ी मालिक का नाम एवं पता की मांग की गयी।

जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय ने अपने पत्रांक 4106/परि0 दिनांक 07.10.17 से वाहन स्वामी का नाम एवं पता प्रतिवेदित किया गया जिसमें अंकित किया गया कि वाहन संख्या–BR 34K-0192 हीरो होण्डा का निबंधन अहमद रसीद पिता–मो0 राशीद अहमद ग्राम मिर्जापुर, पो0–दरियापुर, थाना–मुफस्सिल, जिला मुंगेर के नाम से पंजीबद्ध है।

तदआलोक में अहमद रसीद पे0 मो0 राशीद अहमद ग्राम मिर्जापुर वर्धा, पो0 दरियापुर, थाना मुफस्सिल, जिला मुंगेर को डी0बी0नं0 395 दिनांक 26.9.17 से नोटिस निर्गत किया गया तथा डी0बी0नं0 396/विधि, दिनांक 24.10.17 से तामिला हेतु पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को भेजा गया।

प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने पर दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में दिनांक 19.03.18 को सूचना प्रकाशित कराया गया। लेकिन प्रतिवादी फिर भी उपस्थित नहीं हुए। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3064/हि0शा, दिनांक 19.09.2017 के साथ संलग्न पु0अ0नि0 नगर थाना खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाहन संख्या–BR 34K-0192 हीरो होण्डा स्पेलेण्डर मोटर साईकिल इंजन नं0–EO500 एवं चेचिस नं0–97F19FC4726 जो शराब कारोबार के लिए इश्तेमाल किया जा रहा था, जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा 58 (2) के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि सदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में शराब पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण शराब का कारोबार करना बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत वाहन का उपयोग शराब कारोबार के लिए किया जा रहा था। प्रतिवादी द्वारा या उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि उनके वाहन से शराब नहीं ले जाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है कि:—

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन संख्या—BR 34K 0192 मोटर साईकिल हिरो होण्डा स्पेलेण्डर इंजन नं0—EO500 एवं चेचिस नं0—97F19FC4726 जो जप्त कर नगर थाना खगड़िया में रखा हुआ है, को बिहार मघ निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किये जाने वाला वाहन किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाए।
2. .जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन संख्या—BR 34K **0192** मोटर साईकिल हिरो होण्डा स्पेलेण्डर इंजन नं0—EO500 एवं चेचिस नं0—97F19FC4726 मोटरयान निरीक्षक खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख—रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता
खगड़िया

समाहर्त्ता
खगड़िया

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
4	डी० बी० नं०. 165 / विधि, दिनांक 18/4/2018 प्रतिलिपिः–उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया / जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के बेवसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 18.4.18 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया।	
162, 163, 164, 165		